न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 189/2025 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2025/245

1. हरिराम पुत्र स्व. सोहनराम जाति नायक निवासी भानीपुरा जिला चूरू।
2. सावित्री पत्नी स्व. सोहनराम
3. जगदीश पुत्र स्व. सोहनराम
4. मेघाराम पुत्र स्व. सोहनराम
5. धन्नाराम पुत्र स्व. सोहनराम

(क्रम 2 से 5) जाति नायक निवासीगण भानीपुरा तहसील भानीपुरा जिला चूरू।

6. लिछमा पुत्री स्व. सोहनराम
7. गोमती पुत्री स्व. सोहनराम
8. परमा पुत्री स्व. सोहनराम

(क्रम 6 से 8) जाति नायक निवासी भानीपुरा जिला चूरू हाल निवासी सिरासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

9. आदूराम पुत्र रावताराम जाति नायक निवासी भानीपुरा तहसील भानीपुरा जिला चूरू।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र जगदीश प्रसाद
2. दारा सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद

(क्रम 1 व 2) जाति मेघवाल निवासीगण ढ़ाणी पाचेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री रोशन अली —अभिभाषक अपीलांट्स
श्री अजय कुमार ओझा —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2

निर्णय

दिनांक 15.01.2026

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(9) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि ग्राम भानीपुरा जिला चूरू के खसरा नंबर 725/719 की तादादी 4985.60 वर्गमीटर (वाणिज्यिकर प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तित भूमि का उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा संपरिवर्तन कर दिया है। उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के उक्त अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश दिनांक 15.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2– अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों के विरूद्ध जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये गये। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों एवं जवाब प्रार्थना पत्रों का अवलोकन व मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपीलांट की अपील को मियाद में शुमार किया जाता हैं।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट सं. 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खाता सं. 258 के खसरा नं. 177 की तादादी 4.55 हैक्टेयर, ख.नं. 30 की तादादी 3.42 हैक्ट.व ख.नं. 414 की तादादी 4.36 हैक्ट. कुल तादादी 12.33 हैक्टेयर वाके ग्राम भानीपुरा जिला चूरू में स्थित है। खसरा नंबर 30 वर्तमान ख.नं. 717/30 व खसरा नंबर 719/30 वर्तमान खसरा नंबर 724/719 तादादी 3.14 हैक्ट. भूमि के चिपती पूर्व दिशा में रेस्पो. सं. 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 725/719 वर्तमान खसरा नंबर 740/725 तादादी 4985.6 वर्गमीटर वाणिज्यिक संपरिवर्तित भूमि है। अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 30 कुल तादादी 3.42 हैक्ट. में से तादादी 0.28 हैक्ट. भूमि को जरिये समर्पणनामा दिनांक 07.08.2023 को राज्य सरकार के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किया गया है, जिसे तहसीलदार भानीपुरा ने अपने आदेश दिनांक 26.09.2023 द्वारा पटवारी हल्का भानीपुरा को उक्त समर्पित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में सिवाय चक दर्ज रिकार्ड करने बाबत जारी किया गया, जिसे पटवार हल्का ने जरिये इंतकाल संख्या 133 राजस्व रिकार्ड में दिनांक 03.10.2023 को सिवाय चक दर्ज कर दिया। अपीलांट सं. 9 की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 737/26 ग्राम रोही भानीपुरा में स्थित है, जिसमें अपीलांट का मकान व ढ़ाणी बनी हुई है और वह सपरिवार निवास करता है। रेस्पो. सं. 1, 2 ने अपनी खातेदारी वादगत कृषि भूमि ख.नं. 725/719 की तादादी 1.0120 हैक्ट. में से तादादी 4985.6 वर्गमीटर भूमि का उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर से कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तथा अपीलांट द्वारा समर्पित भूमि, जिसे सिवाय चक दर्ज कर दिया गया था, उस पर उक्त वाणिज्यिक भूमि का रास्ता (सड़क) दर्शाते हुए नक्शा जारी कर संपरिवर्तन आदेश जारी करवा लिया। उक्त रास्ते को अपीलांट सं. 9 की खातेदारी भूमि में दर्शाया गया है, जिसमें मौके पर अपीलांट की मकान व ढ़ाणी बने हुए हैं। उक्त रास्ता उनके मकान व ढ़ाणी के बीच से गुजरता दर्शाया गया है। उक्त प्रकरण से संबंधित दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित है तथा स्थगन भी जारी किया हुआ है। अपीलांट द्वारा समर्पण करने के प्रा. पत्र एवं समर्पणनामा में भूमि के विशेष हिस्सें या दिशा का कोई अंकन या निशानदेही संलग्न नजरी नक्शा में अपीलांट्स द्वारा नहीं किया गया है और ना ही ऐसी कोई सहमति प्रदान की गई। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया और न ही सुनवाई का अवसर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट को इस न्यायालय में अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं हैं। वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 ने अपीलांट्स से ही क्रय की हुई है, जिसका रेस्पोडेंट्स वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया है। अपीलांट स्वयं द्वारा रास्ते की भूमि समर्पित की गई थी। समर्पणनामा की प्रति संलग्न है। समर्पणनामा के बाद इंतकाल दर्ज होने के लगभग 11 माह बाद अपील पेश की है, जो स्पष्टतः मियाद बाहर है। अपीलांट को इन सभी तथ्यों की जानकारी थी। रेस्पोडेंट द्वारा करवाया गया संपरिवर्तन यदि गलत है तो उसके विरूद्ध अपील स्टेट पेश कर सकते है। अपीलाधीन आदेश नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। अपीलांट ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में अपील पेश की हैं, जो निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5– हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2025 पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की खातेदारी भूमि ग्राम भानीपुरा जिला चूरू के खसरा नंबर 725/719 की तादादी 4985.6 वर्गमीटर भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के आदेश जारी कर दिये। अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर का उक्त अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2025 यथावत रखा जाता है।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कार्यालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर